

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या-3/2025/3261868/अस्सी-2-2025
लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2025

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (प्रथम संशोधन), 2021 के प्रस्तर 6.2.1 के प्राविधानान्तर्गत नीति के अनुलग्नक-1 में चिन्हांकित क्लस्टर की सूची के विस्तार एवं संशोधन के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/2064099/2022 दिनांक-15.03.2022 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की पंचम बैठक दिनांक-09.01.2024 , षष्ठम बैठक दिनांक-13.03.2024 तथा 8वीं बैठक दिनांक 08.01.2025 में नीति के संलग्नक (अनुलग्नक-1) के चिन्हांकित उत्पाद के जनपद की क्लस्टर सूची में विस्तार और संशोधन किये जाने हेतु लिये गये निर्णय/स्वीकृति के अनुक्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2023/2365863/2023 दिनांक- 17/07/2023 द्वारा निर्गत नीति के अनुलग्नक-1 (तृतीय संशोधन) को निम्नानुसार अनुलग्नक-1 (चतुर्थ संशोधन) से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 (यथा संशोधित), 2024 का संलग्नक

अनुलग्नक-1 (चतुर्थ संशोधन)

उत्तर प्रदेश के चिन्हांकित क्लस्टर की सूची

उत्पाद	जनपद
	ताजे फल/सब्जी, खाद्यान्न , तिलहन
आम	वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव , अमरोहा, रामपुर, बुलन्दशहर , अयोध्या , बिजनौर, मुजफ्फरनगर , हरदोई, कासगंज, अम्बेडकरनगर, अलीगढ, खीरी, बाराबंकी, कुशीनगर, मुरादाबाद, बागपत, प्रतापगढ, बलरामपुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, शामली।
केला	गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रवास्ती , सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, कौशाम्बी , फतेहपुर, खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, पीलीभीत, मुरादाबाद, सन्तकबीरनगर, सीतापुर।
अमरूद	कौशाम्बी, प्रयागराज, कानपुर नगर, बदायूँ, फर्रुखाबाद, कासगंज, अलीगढ, एटा, हाथरस, मुरादाबाद, कौशाम्बी, रामपुर, उन्नाव , सम्भल , सहारनपुर,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	मुजफ्फरनगर, शाहजाहाँपुर, शामली।
लीची	सहारनपुर।
आँवला	प्रतापगढ, कौशाम्बी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आजमगढ, बस्ती, फतेहपुर।
आलू	आगरा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कन्नौज, बदायूँ, सम्भल, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, हरदोई, मथुरा, बुलन्दशहर, अमरोहा, बरेली, हापुड, मुरादाबाद, फतेहपुर।
ताजी सब्जियाँ (हरी मिर्च, भिन्डी, लौकी, करेला, हरी मटर, परवल, टमाटर, पत्तेदार सब्जियाँ इत्यादि)	लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली, कौशाम्बी, जालौन, कासगंज, बरेली, बाराबंकी, बुलन्दशहर, अलीगढ, बलिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव, आगरा, मेरठ, मैनपुरी, गोण्डा, हापुड, एटा, अम्बेडकरनगर, बहराइच, अमरोहा, ललितपुर, झांसी, महोबा, सुल्तानपुर, हमीरपुर, अमेठी, खीरी, बस्ती, कुशीनगर, कन्नौज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, बिजनौर, भदोही। टमाटर उत्पाद हेतु जनपद सीतापुर को भी जोड़ा जाता है। हरा बैंगन उत्पाद हेतु जनपद बाँदा को भी जोड़ा जाता है। हरी मिर्च तथा शिमला मिर्च उत्पाद हेतु जनपद बदायूँ को भी जोड़ा जाता है। कद्दू तथा पेठा उत्पाद हेतु जनपद कानपुर देहात को भी जोड़ा जाता है। गाजर उत्पाद हेतु जनपद हापुड को भी जोड़ा जाता है। हरी मटर(सब्जी) उत्पाद हेतु जनपद झांसी को भी जोड़ा जाता है।
जिमीकन्द	बहराइच।
खीरा	सहारनपुर।
मक्का	गोण्डा, अलीगढ, बुलन्दशहर, बदायूँ, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, एटा।
बाजरा	अलीगढ, बरेली, आगरा, औरैया, कासगंज, एटा, ललितपुर, गोरखपुर।
ज्वार	बरेली।
मिलेट्स(कोदो, रागी, सावा)	गोरखपुर
धान (नान- बासमती)	सुल्तानपुर, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाँदा, बदायूँ, हरदोई, बरेली, गोरखपुर।
गेहूँ	सुल्तानपुर, अलीगढ, अयोध्या, लखीमपुर-खीरी, बाँदा, हरदोई, आगरा, गोरखपुर।
सरसों	अलीगढ, बुलन्दशहर, बाँदा, हरदोई, कानपुर देहात, आगरा, औरैया।
तिल	झांसी, हमीरपुर, महोबा, बाँदा, जालौन।
मूँगफली	हमीरपुर, उन्नाव, झांसी, ललितपुर।
देशी अरहर	बाँदा।
चिकोरी	एटा, कासगंज।
लहसुन	फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, औरैया।
हल्दी	बहराइच।
अदरक	ललितपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

मेंथा (मिन्ट)	बाराबंकी, बदायूँ, मुरादाबाद, सीतापुर, रामपुर, जालौन, बरेली, सम्भल , अमरोहा।
गन्ना	सीतापुर, अयोध्या , लखीमपुर-खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, शामली।
गुलाब फूल	कानपुर नगर।
गेंदा फूल	कानपुर नगर।

औषधीय पौधे एवं उसके उत्पाद

तुलसी	हमीरपुर, झांसी।
-------	-----------------

भौगोलिक संकेत वाली फसलें

इलाहाबाद सुर्ख अमरूद	प्रयागराज, कौशाम्बी ।
मलिहावादी दशहरी	लखनऊ।
बासमती चावल	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिले यथा- सहारनपुर, शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मुज़फ्फरनगर, मेरठ, हापुड, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूँ, कासगंज, एटा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर एवं पीलीभीत।
रतौल आम	बागपत।
महोबा देसावरी पान	महोबा।
बनारस लंगड़ा आम	वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, चन्दौली, गाजीपुर एवं बलिया।
प्रतापगढ़ ऑंवला	प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर एवं वाराणसी।
आदमचीनी चावल	चन्दौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर एवं बलिया।
बनारस पान (पत्ता)	जौनपुर, चन्दौली, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र।
रामनगर भांटा	वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चन्दौली एवं सोनभद्र।
काला नमक चावल	गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोण्डा , देवरिया,बस्ती, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती ।

जैविक उत्पाद

धान, गेहूँ, सब्जियाँ, आलू, औषधीय पौधे, सरसों, बाजरा, आम, अमरूद, मूंग, उरद, गन्ना, हल्दी , मटर, अरहर, इत्यादि ।	उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था की लिस्ट के अनुसार क्लस्टर जिला/क्षेत्र।
--	---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पशु/डियरी एवं उनके उत्पाद

ताजा दूध, स्किमड दूध, पनीर, घी, मक्खन, चीज, मिल्क पाउडर, मांस, इत्यादि।	एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, वाराणसी, गोरखपुर, उन्नाव, अलीगढ, रामपुर, लखनऊ, मेरठ, कानपुर नगर।
---	---

प्रसंस्कृत उत्पाद

अचार, फ्रोजन सब्जियाँ, जूस, जैम, जैली, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, कन्फेक्शनरी, खाद्यान्न आटा, खाद्यान्न रोस्टेड, नमकीन, इत्यादि।	गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर, प्रयागराज, बुलन्दशहर।
--	---

मछली एवं मछली उत्पाद

मछली एवं मछली उत्पाद	गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया।
----------------------	---------------------------------------

रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या – 3/2025/3261868/अस्सी-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, किसान मण्डी भवन गोमती नगर, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से कि इस शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।